न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– श्री सुरेश कुमार चावला (आर..ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 3/2019

उनवान

1 प्रधान पुत्र सकराम जाति भील निवासी ग्राम मौहम्मदगढ, सरवाड, अजमेर।
—— प्रार्थी :– जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1. राज0 सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद
—— अप्रार्थी :– जरियें राज0 पैरोकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–: आदेश :– दिनांक :– 17.6.19

प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम रामसर के हाल खसरा नम्बर 7661/10354 रकबा 1.42 में से 0.71 की आराजी प्रार्थी की कयशुदा है उक्त आराजी नामान्तकरण संख्या 1623 दिनांक 23.5.17 से प्रार्थी के नाम राजस्व अभिलेख में अंकित कर दी गयी। नामान्तकरण संख्या 1824 दिनांक 18.6.18 द्वारा उक्त आराजी का सहमती विभाजन हुआ एवं खसरा नम्बर 7661/10354/1 रकबा 0.71 पर प्रार्थी को खातेदार दर्ज किया गया। उक्त आराजी में आने–जाने के लिये खसरा नम्बर 7671 रकबा 1.00 सिवायचक का उपयोग आवेदनकर्ता व उनका परिवार करता है। उक्त रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता मौके पर विधमान नही है। एवं राजस्व मानचित्र में भी अंकन नही है। अतः प्रार्थी की खातेदारी आराज़ी में आवागमन हेतु उक्त आराजी में से 30 फिट चौडा रास्ता दिलवाया जाना न्यायोचित है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। राज0 पैरोकार ने रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी ने खसरा नम्बर 7671 में से रास्ता चाहा है । उक्त रास्ते के अतिरिक्त प्रार्थी की खातेदारी पर आवागमन हेतु कोई रास्ता विधमान नही है। चाहे गये रास्ते का रकबा 0.04 है0 है। उक्त रकबे की डी.एल. सी. दर से राशि 18000/रूपये बनती है। नियमानुसार सिवायचक में से रास्ता दिया जाना उचित होगा।

- बहस उभपक्ष सुनी गयी।

दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने कथन किया कि प्रार्थी के पास उक्त रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता नही है। प्रार्थी को कृषि कार्य हेतु उक्त मार्ग की आत्यतिंक आवश्यकता है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

——2

Scanned by CamScanner

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी व राज0 पैरोकार की बहस पर मन किया। ग्राम ररामसर का खसरा नम्बर 7671/10354/1 रकबा 0.71 प्रार्थी की खातेदारी में है खसरा म्बर 7671 रकबा 1.00 सिवायचक दर्ज है। प्रार्थी उक्त खसरा नम्बर में से खातेदारी भूमि पर आवागमन हेतु रास्ता चाहता है। मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी के पास चाहे गये रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता विधमान नही है। उक्त रास्ता प्रार्थी के खेत तक आने जाने हेतु लघुतम रास्ता है। जो तहसीलदार नसीराबाद व भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट व राजस्व मानचित्र से स्पष्ट होता है। उक्त अनुसार प्रार्थी को रास्ता दिये जाने से प्रतिवादी के हितों पर कोई विपरित प्रभाव नही पडेगा। तहसीलदार नसीराबाद ने रास्ता दिये जाने हेतु अनुशंषा भी की है। रिपोर्ट अनुसार खसरा नम्बर 7671 रकबा 1.00 में से 0.04 है0 रकबा रास्ता हेतु लिया जाना है। चाहे गये रास्ते का रकबा 0.04 है0 है। उक्त रकबे की डी.एल.सी. दर से राशि 18000/रूपये बनती है। धारा 251 ए राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत किसी काश्तकार के पास अपने खातेदारी खेतो में जाने हेतु काई मार्ग विधमान या उपलब्ध नही है तो वह अन्य काश्तकार की खातेदारी में से अपनी खातेदारी भूमि पर आवागमन हेतु रास्ता प्राप्त कर सकता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र ''स्वीकार'' किया जाता है। ग्राम रामसर के खसरा नम्बर 7671 रकबा 1.00 में से 0.04 रकबा रास्ता के रूप में राजस्व अभिलेख में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त भूमि की डी.एल.सी. दर से दो गुना राशि 36000/ रूपये राशि राजकोष में जमा होने के बाद तहसीलदार नसीराबाद उक्त खसरा नम्बर के रकबे को राजस्व अभिलेख में रास्ता दर्ज किये जाने की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Scanned by CamScanner